न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 102/2018

1 महावीर प्रसाद पुत्र दोलाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल निवासी सी–23, बसन्त विहार कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जयनारायण पुत्र भैरूराम।
2 रामनिवास उर्फ निवास पुत्र भैरूराम।
3 चन्दगीराम पुत्र दौलाराम।
4 श्रीचन्द पुत्र दौलाराम।
5 मोहनलाल पुत्र दौलाराम।
6 भागीरथ पुत्र दौलाराम।
7 घासीराम पुत्र दौलाराम।
8 विमला देवी पत्नी जगमाल सिंह।
9 अनिल उर्फ आशिष कुमार पुत्र जगमाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील
खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
मुकदमा उनवानी जयनारायण वगैरह बनाम चन्दगीराम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं.
239/2013 निर्णय दिनांक 25.06.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 239/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत के यहां रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 3 से 10 के विरूद्व जमीन हाल खसरा नम्बर 278 सरहद मौजा खींवासर की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे से 300 मीटर लम्बा व 3.03 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 25.06.2018 के द्वारा स्वीकार कर जमीन खसरा नम्बर 278 की उतरी सीमा के सहारे तथा खसरा नम्बर 278 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 279 की पश्चिमी सीमा तक रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि खसरा नम्बर 278 का सहखातेदार है अपीलांट को विचारण न्यायालय में पक्षकार को संयोजित नही किया गया। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट विवादित भूमि खसरा नम्बर 278 का सहखातेदार है अपीलांट को विचारण न्यायालय में पक्षकार को संयोजित नही किया गया। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार सहखातेदार को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर